बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
प्राप्ति तिथि
प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना-20

बिहार सरकार
खेल विभाग

।। अधिसूचना ।।

पत्रांक–5 / खे. वि. 8–02 / 2024..1466.../ पटना, दिनांक–.30..9.. / 2024

नगर / ग्राम पंचायत खेल क्लब की मार्गदर्शिका–2024

1. परिचय

बिहार में खेल के माहौल को विकसित करने के उद्देश्य से तथा स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए खेल क्लब के गठन का निर्णय लिया गया है। खेल क्लब के गठन से समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार के संकल्प सं0–798, दिनांक–25.06.2024 द्वारा राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है।

खेल क्लबों की मूख्य भूमिका बिहार में स्थापित खेल तथा वर्त्तमान समय में उभरते हुए खेलों एवं उक्त खेल के खिलाड़ियों को उत्साहित / प्रोत्साहित करना तथा गाँव–गाँव में छुपे हुए खेल प्रतिभा को उभारना निखारना है, साथ ही ये क्लब शारीरिक गतिविधियों एवं प्रतिभाओं के विकास के लिए सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के माध्यम से सहायता एवं समर्थन देने और बिहार के 38 जिलों में पंचायत स्तर पर नए खेल क्लबों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जिसमें 8053 ग्राम पंचायतें एवं 154 नगर पंचायतें शामिल हैं।

बिहार सरकार इन क्लबों को खेल–केंद्रित माहौल विकसित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। विभिन्न निकायों के तहत पंजीकृत मौजूदा क्लबों के प्रयासों को समेकित रूप से एक मंच पर सुव्यवस्थित करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के साथ फिर से पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह मार्गदर्शिका इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करेगा। यह वर्त्तमान में मौजूद क्लबों की सहायता करेगा और नए क्लबों की स्थापना और पंजीकरण को बढ़ावा देगा। यह प्रयास एक जीवंत, खेल–उन्मुख बिहार के निर्माण की दिशा में एक कदम है, जो विविध मंचों के प्रतिभावान खिलाड़ियो को तैयार करता है और एक स्वस्थ समाज के विकास में योगदान देता है।

विभागीय संकल्प सं0–351, दिनांक–15.03.2024 द्वारा बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के आलोक में 17 खेल विधाओं का चयन किया गया है, जिसकी सूची निम्नवत् है:–

Email- 01/10/24

(i) एथलेटिक्स (ii) तलवारबाजी (iii) कबड्डी (iv) साईक्लिंग (v) तीरंदाजी (vi) वॉलीवॉल (vii) रग्बी (viii) हॉकी (ix) बैडमिंटन (x) कुश्ती (xi) शूटिंग (xii) भारोत्तोलन (xiii) हैण्डबॉल (xiv) फुटबॉल (xv) टेबुल टेनिस (xvi) वॉक्सिंग (xvii) सेपकटाकरा।

17 प्राथमिकता वाले खेल विषयों में सक्रिय क्लबों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अन्य खेलों में शामिल क्लब भी कार्यक्रम के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। प्रत्येक पंचायत में एक–एक खेल क्लब पंजीकृत होगी। अन्य गठित खेल क्लब भी अपने पंचायत में अवस्थित खेल क्ल्ब में पंजीकरण करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य

(i) इस पहल का उद्देश्य खेलों में भागीदारी को सरल एवं सर्वसुलभ बनाना तथा खेल क्लबों को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान कर के उभरती हुई प्रतिभाओं की पहचान करना एवं उन्हें आगे लाना है।

(ii) राज्य भर में नए खेल क्लबों के गठन को बढ़ावा देना तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के साथ मौजूदा क्लबों के पंजीकरण को सरल बनाना, जिससे बुनियादी स्तर पर खेल संस्कृति पल्लवित हो सके।

(iii) खेल भागीदारी, प्रतिभा विकास और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खेल क्लबों को मान्यता दिया जाय।

(iv) पंजीकृत/शीघ्र पंजीकृत होने वाले क्लबों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं तक आसान पहुंच के लिए स्थानीय प्राधिकार के साथ समन्वय हेतु एक व्यवस्था बनाना।

(v) खेल क्लबों की प्रगति की नियमित रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खेल पारिस्थितिकी तंत्र के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं और आगे सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

3. पात्रता मापदंड–

1. पंचायत में अवस्थित खेल क्लब के सभी सदस्य उसी पंचायत के निवासी होने चाहिए।
2. सदस्यों की आयु सीमा 14–45 वर्ष हो।
3. क्लब के सदस्यों में यथासंभव महिला और पुरूष दोनों की भागीदारी होनी चाहिए।
4. प्राथमिकता चिन्हित खेल विधा में रूचि रखने वाले ही सदस्य के रूप में मान्य होंगे।
5. क्लब के सदस्यों में यथासंभव शारीरिक शिक्षक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं एन.आई.एस. प्रशिक्षक में से एक होना चाहिए।

4. पंजीकरण की प्रक्रिया

1. **आवेदन पत्र** :– विहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के पोर्टल पर एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।

2. **समीक्षा और अनुमोदन** :– ऑनलाईन आवेदन जमा होने के बाद, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना (Bihar State Sports Authority- BSSA) द्वारा इसकी गहन समीक्षा की जाएगी। यदि आवेदन आवश्यक मानकों को पूरा करता है, तो इसे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा औपचारिक रूप से पंजीकरण किया जाएगा।

3. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के द्वारा चयनित खेल क्लबों को मान्यता दी जायेगी।

4. खेल क्लब का पोर्टल दिनांक–15.09.2024 से दिनांक–15.10.2024 तक खुला रहेगा।

5. इस पोर्टल पर खेल क्लबों के साथ–साथ व्यक्तिगत खिलाड़ी भी अपना पंजीयन करा सकते है।

5. अनुश्रवण संरचना

जिला स्तरीय निरीक्षण और मूल्यांकन–नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लबों के प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु जिला स्तर पर एक अनुश्रवण समिति जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित होगी।

नगर पंचायत क्लबों का देख–रेख कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत एवं जिला खेल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण एवं देख–रेख किया जाएगा।

ग्राम पंचायत क्लबों का देख–रेख जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिला खेल अधिकारी (डी.एस.ओ.) द्वारा अपने–अपने जिले के सभी पंचायतों में कार्यक्रम की देख–रेख किया जाएगा।

उपरोक्त पदाधिकारी जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के सदस्य होंगे तथा सभी जिला खेल पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। विभिन्न नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे।

6. सामान्य नियम और शर्त्ते

(i) खेल क्लबों से अपेक्षा की जाएगी कि वे समय–समय पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना (Bihar State Sports Authority- BSSA) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें।

(ii) खेल क्लबों को सोशल मीडिया और अन्य पारंपरिक माध्यमों से खेल कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना चाहिए। सभी सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग के मीडिया हैंडल को टैग किया जाना चाहिए।

7. खेल क्लबों की मान्यता रद्द करना

1. **ब्लैकलिस्टिंग**– क्लब के संस्थापकों और प्रमुख सदस्यों को किसी भी संगठन / संस्था, सरकारी या निजी संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्टिंग या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, और उनके खिलाफ कदाचार या धनं के दुरूपयोग से संबंधित कोई भी मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए।

2. **निष्क्रियता या जिम्मेदारी को पूरा करने में विफलता**– जो क्लब एक वर्ष की अवधि में लगातार निष्क्रिय रहते हैं या अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। खेल क्लबों के स्थापना के संबंध में समय–समय पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना अथवा खेल विभाग द्वारा उचित दिशा–निर्देश निर्गत किया जाएगा।

30/09/24

(निरंजन कुमार)
सरकार के उप सचिव।
खेल विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–5/खे. वि. 8–02/2024...1466../ पटना, दिनांक–..30...9./2024

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, खेल विभाग के प्रधान आप्त सचिव/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला खेल पदाधिकारी, खेल विभाग/प्राचार्य, बी0पी0सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय/प्रबंधक, मोईनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/09/24

सरकार के उप सचिव।
खेल विभाग, बिहार, पटना।